



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 319 राँची, शुक्रवार, 20 आषाढ़, 1947 (श०)
11 जुलाई, 2025 (ई०)

वित्त विभाग

संकल्प

4 अक्टूबर, 2024

विषय: राज्य के विभिन्न स्तर के पदाधिकारियों/कार्यालयों के लिये सरकारी वाहन की अनुमान्यता के संबंध में।

पत्रांक: वित्त-7-31/2002 (खण्ड-1)2516--राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं अधीनस्थ कार्यालयों/पदाधिकारियों के उपयोग हेतु प्रशासी पदवर्ग समिति की स्वीकृति प्राप्त करते हुये नये वाहन का क्रय एवं बाह्य स्रोत से वाहन रखा जाता है। वित्त विभाग के संकल्प सं० 3296/वि० दिनांक 15.09.2014 द्वारा राज्य के विभिन्न विभागों/कार्यालयों के उपयोग हेतु बाह्य स्रोत एवं क्रय के माध्यम से वाहन की अधिप्राप्ति हेतु प्रावधान निरूपित हैं। उक्त संकल्प की कंडिका-2 में राज्य के विभिन्न स्तर के पदाधिकारियों/कार्यालयों को अनुमान्य वाहन का मॉडल का उल्लेख है। उक्त अनुमान्यता के आधार पर विभागों/कार्यालयों के द्वारा वाहनों के क्रय अथवा बाह्य स्रोत से अधिप्राप्ति के प्रस्ताव प्रशासी पदवर्ग समिति की स्वीकृति हेतु भेजे जाते हैं।

2- सम्प्रति उपरोक्त संकल्प काफी पुराना हो चुका है। समय के साथ वाहन निर्माता कंपनियों के द्वारा संकल्प में वर्णित कई वाहनों के मॉडल के निर्माण को बंद कर दिया गया है। वर्तमान में वाहन निर्माण क्षेत्र काफी प्रगतिशील एवं प्रतिस्पर्धात्मक है, जिससे कि समय-समय पर वाहन के मॉडल में परिवर्तन होते रहते हैं। वस्तुतः राज्य के विभिन्न स्तर के पदाधिकारियों/कार्यालयों के लिये वाहन के मॉडल की अनुमान्यता पुनः निर्धारित किया जाना प्रासंगिक एवं आवश्यक प्रतीत होता है।

3- बाह्य स्रोत से वाहन रखने की व्यवस्था भारत सरकार के मंत्रालय, CPSUs एवं विभिन्न विभागों में काफी पूर्व से है तथा बाह्य स्रोत से वाहन रखने पर सेवा क्षेत्र का विस्तार होगा एवं निजी क्षेत्रों में रोजगार एवं उद्यमिता भी बढ़ेगी। सरकारी विभागों को विविध और अप्रत्याशित परिवहन की आवश्यकताएँ होती हैं। वाहनों का क्रय अनावश्यक नहीं किये जाने पर उनके रख-रखाव तथा समयकाल पूर्ण होने के उपरान्त रद्दीकरण/नीलामी की समस्या से बचा जा सकेगा तथा इससे प्रशासनिक व्यय में भी कमी आयेगी। सरकारी बजट सीमित होते हैं एवं बाह्य स्रोत से वाहन रखने पर मुख्य परियोजनाओं के लिए राजस्व को बचाया जा सकता है तथा वाहनों की स्वामित्व एवं अन्य स्वामित्व संबंधित लागतों के लिए बजट बनाने की आवश्यकता भी नहीं होगी। स्वामित्व में रखे गये वाहन का प्रबंधन, पंजीकरण और नियामक प्रावधानों से संबंधित प्रशासनिक कार्यों को शामिल करता है तथा वाहनों का स्वामित्व रखना अप्रत्याशित रख-रखाव जैसे संवादात्मक जोखिमों के साथ आता है। बाह्य स्रोत से वाहन रखने पर, वाहन स्वामित्व से जुड़े वित्तीय और परिचालन जोखिमों को कम किया जा सकता है। वाहनों को बाह्य स्रोत से रखने पर दूरस्थान की पहचान के बिना विभाग अपनी आवश्यकताओं के अनुसार मात्रा को बढ़ा या कम कर सकते हैं। विशेष घटनाओं, आपातकालीन स्थितियों, या अल्पकालिक परियोजनाओं के दौरान, विभाग तत्काल अतिरिक्त वाहन प्राप्त कर सकते हैं, जिससे वाहनों को खरीदने, पंजीकरण आदि का बोझ कम होगा। बाह्य स्रोत से वाहन रखने पर, सरकारी विभाग पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों में योगदान कर अपनी प्रतिबद्धता दिखा सकते हैं और कार्बन पदचिह्न को कम कर सकते हैं। परन्तु, संवैधानिक पदधारक के उपयोगार्थ एवं उनके सुरक्षा हेतु आवश्यक वाहन की संवेदनशीलता एवं गोपनीयता तथा राज्य में विधि व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, नक्सल/उग्रवाद नियंत्रण, प्रशासनिक कार्यों के सुचारू एवं सुगम्य रूप से संचालन हेतु क्षेत्र भ्रमण के निमित्त पदाधिकारियों को निरंतर सेवा देनी होती है, जिसके दृष्टिपथ उक्त कार्यों हेतु बाह्य स्रोत से वाहन की व्यवस्था किया जाना सुरक्षा, संवेदनशीलता एवं गोपनीयता के दृष्टिकोण से अप्रासंगिक है तथा वाहन का क्रय किया जाना ही श्रेयस्कर है। अतः वाहनों का क्रय मात्र उन्हीं पदाधिकारी विशेष के लिए किया जाना श्रेयस्कर होगा, जिसके लिए वाहन का क्रय किया जाना नितांत आवश्यक है तथा शेष सभी कार्यालय/पदाधिकारी विशेष के लिए वाहन की व्यवस्था अधिमान्यता के आधार पर बाह्य स्रोत से की जायेगी।

4- अतएव सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा उपर्युक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में निम्नांकित तालिका में उल्लेखित राज्य के विभिन्न स्तर के पदाधिकारियों/कार्यालयों के लिए विभिन्न श्रेणी के वाहन के मॉडल के क्रय की अनुमान्यता निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है: -

क्र०	कार्यालय/पदाधिकारी का नाम	वाहन का मॉडल
1-	मुख्य सचिव	Skoda Octavia/Skoda Superb
2-	राज्य सरकार अंतर्गत अखिल भारतीय सेवा के Level-14 एवं उच्चतर वेतनमान के पदधारक	Toyota Innova Crysta/Hyundai Verna/Honda City/Volkswagen Virtus/Skoda Slavia
3-	(क) प्रधान जिला न्यायाधीश/निदेशक, जुडिशियल अकादमी/प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय	Hyundai Verna/Honda City/Maruti Suzuki Ciaz

	(ख) मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार	Maruti Suzuki Swift Dzire/Hyundai Aura/Honda Amaze
4-	उपायुक्त/वरीय पुलिस अधीक्षक/उप विकास आयुक्त/पुलिस अधीक्षक/जिला वन क्षेत्र पदाधिकारी	Mahindra Scorpio/Tata Safari
5-	जिला स्तर पर परियोजना निदेशक एवं समकक्ष/अपर जिला दण्डाधिकारी एवं समकक्ष/क्षेत्रीय स्तर पर अनुमंडल पदाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी /पुलिस उपाधीक्षक (ऐसे पदाधिकारी जो विधि व्यवस्था/उग्रवाद नियंत्रण/क्षेत्र भ्रमण में शामिल है)	Mahindra Bolero Neo
6-	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी/पुलिस स्टेशन/टी०ओ०पी०/ओ०पी० में कार्यालय उपयोग हेतु	Mahindra Bolero

- (i) राज्य के विभिन्न स्तर के पदाधिकारियों/कार्यालयों, जिसके लिए वाहन का क्रय अनुमान्य किया गया है, उन पदाधिकारियों/कार्यालयों, के वाहन संचालन हेतु चालक का पद स्वीकृत/सृजित रहने पर ही वाहन क्रय का प्रस्ताव प्रशासी पदवर्ग समिति के विचारार्थ प्रेषित किया जायेगा।
- (ii) वाहनों का क्रय जिन पदाधिकारियों/कार्यालयों के लिए अनुमान्य किया गया है, यदि उन पदाधिकारियों/कार्यालयों के वाहन संचालन हेतु चालक का पद स्वीकृत/सृजित नहीं है तो, बाह्य स्रोत (outsourcing) के माध्यम से वाहन रखने का प्रस्ताव प्रशासी पदवर्ग समिति के विचारार्थ प्रेषित किया जायेगा।
- (iii) वाहनों का क्रय जिन पदाधिकारियों/कार्यालयों के लिए अनुमान्य किया गया है एवं उनके वाहन के संचालन हेतु चालक का पद स्वीकृत/सृजित है, परन्तु पद रिक्त है, ऐसी स्थिति में बेहतर विकल्प के दृष्टिपथ बाह्य स्रोत (outsourcing) के माध्यम से वाहन रखने का प्रस्ताव प्रशासी पदवर्ग समिति के विचारार्थ प्रेषित किया जा सकता है।
- 5- कंडिका-4 के अतिरिक्त निम्नांकित पदाधिकारी, कार्यालय तथा राज्य सेवा/संवर्ग के पदाधिकारियों के लिए वाहन की व्यवस्था अधिमान्यता के आधार पर बाह्य स्रोत (चालक सहित अथवा चालक एवं इंधन सहित) से किये जाने का निर्णय लिया गया है: -

क्र०	कार्यालय/पदाधिकारी का नाम	वाहन का मॉडल
1-	सचिवालय एवं संलग्न कार्यालय/विभागों/निदेशालयों में पदस्थापित विभागाध्यक्ष/निदेशक, अभियंता प्रमुख, विशेष सचिव एवं समकक्ष/ Level-13A एवं उच्चतर पे-लेवल के पदधारक,	Honda Amaze/Maruti Suzuki Ciaz/Hyundai Verna/Mahindra Scorpio
2-	विभागों के अपर सचिव/संयुक्त सचिव एवं समकक्ष/ Level-13 पे-लेवल के पदाधिकारी,	Maruti Suzuki Swift Dzire/Honda Amaze/Hyundai Aura/Mahindra Scorpio/Mahindra Bolero Neo/Bolero

3-	(क) राज्य सचिवालय/मुख्यालय/ प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय/ उपायुक्त कार्यालय में कार्यालय उपयोग हेतु, (ख) राज्य सचिवालय/मुख्यालय/ उपायुक्त कार्यालय में प्रोटोकाल हेतु स्काट वाहन,	Mahindra Bolero Neo/Bolero
4-	(क) जिला/क्षेत्रीय स्तर पर पदस्थापित झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी, (ख) जिला/क्षेत्रीय स्तर पर पदस्थापित झारखण्ड पुलिस सेवा के पदाधिकारी, (ग) जिला/क्षेत्रीय स्तर पर पदस्थापित अन्य गैर-प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी, {कंडिका-4 के तालिका क्रमांक-5 एवं 6 को छोड़कर, उपर्युक्त क्रमांक (क)ए (ख) एवं (ग) के पदाधिकारी, जिन्हें वाहन अनुमान्य हो}	Mahindra Bolero Neo/Bolero

6- बाह्य स्रोत से वाहन रखने हेतु सामान्य दिशा-निर्देश: -

- (ii) सचिवालय एवं संलग्न कार्यालय/विभागों/निदेशालयों में पदस्थापित विभागाध्यक्ष/निदेशक, अभियंता प्रमुख, विशेष सचिव एवं समकक्ष/Level-13A एवं उच्चतर पे-लेवल के पदधारक के मामले में:-
- (क) पूर्व से कोई वाहन उपलब्ध/आवंटित नहीं रहने की स्थिति में बाह्य स्रोत से वाहन (Honda Amaze/Maruti Suzuki Ciaz/Hyundai Verna/Mahindra Scorpio) उपलब्ध कराया जायेगा, जिसके लिए प्रशासी पदवर्ग समिति की स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक/अपेक्षित नहीं होगी।
- (ख) बाह्य स्रोत से वाहन रखने की स्वीकृति हेतु संबंधित विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव एवं समकक्ष सक्षम पदाधिकारी होंगे।
- (ग) संबंधित विभाग द्वारा सक्षम पदाधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर कार्यालय आदेश निर्गत किया जायेगा एवं इसकी प्रतिलिपि वित्त विभाग को सूचनार्थ प्रेषित की जायेगी।
- (घ) बाह्य स्रोत से वाहन विभागाध्यक्ष/निदेशक, अभियंता प्रमुख, विशेष सचिव एवं समकक्ष/ Level-13A एवं उच्चतर पे-लेवल के पदाधिकारी के पदस्थापन अवधि तक स्वीकृत समझी जायेगी।
- (ङ) विभागाध्यक्ष/निदेशक, अभियंता प्रमुख, विशेष सचिव एवं समकक्ष/ Level-13A एवं उच्चतर पे-लेवल के पदाधिकारी का पदस्थापन रिक्त रहने की स्थिति में बाह्य स्रोत से वाहन रखने की स्वीकृति रद्द कर दी जायेगी।
- (च) विभागाध्यक्ष/निदेशक, अभियंता प्रमुख, विशेष सचिव एवं समकक्ष/ Level-13A एवं उच्चतर पे-लेवल के पदाधिकारी का पदस्थापन रिक्त होने की स्थिति में भी संबंधित विभाग द्वारा बाह्य स्रोत से वाहन

आवंटन की स्वीकृति रद्द करने हेतु कार्यालय आदेश निर्गत कर इसकी प्रतिलिपि वित्त विभाग को सूचनार्थ प्रेषित की जायेगी।

(ii) विभागों के अपर सचिव/संयुक्त सचिव एवं समकक्ष/ Level-13 पे-लेवल के पदाधिकारी के मामले में:

(क) पूर्व से कोई वाहन उपलब्ध/आवंटित नहीं रहने की स्थिति में बाह्य स्रोत से वाहन (Maruti Suzuki Swift Dzire/Honda Amaze/Hyundai Aura/Mahindra Scorpio/Mahindra Bolero Neo/Bolero) उपलब्ध कराया जायेगा, जिसके लिए प्रशासी पदवर्ग समिति की स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक/अपेक्षित नहीं होगी।

(ख) बाह्य स्रोत से वाहन रखने की स्वीकृति हेतु संबंधित विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव एवं समकक्ष सक्षम पदाधिकारी होंगे।

(ग) संबंधित विभाग द्वारा सक्षम पदाधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर कार्यालय आदेश निर्गत किया जायेगा एवं इसकी प्रतिलिपि वित्त विभाग को सूचनार्थ प्रेषित की जायेगी।

(घ) बाह्य स्रोत से वाहन अपर सचिव/संयुक्त सचिव एवं समकक्ष/ Level-13 पे-लेवल के पदाधिकारी के पदस्थापन अवधि तक स्वीकृत समझी जायेगी।

(ङ) अपर सचिव/संयुक्त सचिव एवं समकक्ष/ Level-13 पे-लेवल के पदाधिकारी का पदस्थापन रिक्त रहने की स्थिति में बाह्य स्रोत से वाहन रखने की स्वीकृति रद्द कर दी जायेगी।

(च) अपर सचिव/संयुक्त सचिव एवं समकक्ष/ Level-13 पे-लेवल के पदाधिकारी का पदस्थापन रिक्त होने की स्थिति में भी संबंधित विभाग द्वारा बाह्य स्रोत से वाहन आवंटन की स्वीकृति रद्द करने हेतु कार्यालय आदेश निर्गत कर इसकी प्रतिलिपि वित्त विभाग को सूचनार्थ प्रेषित की जायेगी।

(iii) सचिवालय एवं संलग्न कार्यालय/विभाग/निदेशालय स्तर पर पदाधिकारी/ पदाधिकारियों के क्षेत्र भ्रमण/जाँच के लिए/औचक निरीक्षण हेतु अल्प दिवस (अधिकतम 05 दिन) के लिए बाह्य स्रोत से वाहन (SUV/MUV श्रेणी के वाहन) किराया पर लिया जा सकेगा, जिसके लिए प्रशासी पदवर्ग समिति की स्वीकृति आवश्यक/अपेक्षित नहीं होगी। संबंधित विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव एवं समकक्ष के अनुमोदनोपरांत निर्धारित दर के आधार पर राशि का भुगतान संबंधित एजेन्सी को संबंधित सचिवालय एवं संलग्न कार्यालय/विभाग/निदेशालय द्वारा किया जायेगा। अल्प दिवस (अधिकतम 05 दिन) के लिए इस व्यवस्था का दुरुपयोग इस प्रकार नहीं किया जाय कि अलग-अलग कार्य की प्रकृति के आधार पर 05-05 दिन में अवधि को तोड़-तोड़ कर, प्रशासी पदवर्ग समिति से स्वीकृति प्राप्त किये बिना लगातार बाह्य स्रोत से वाहन रख लिया जाय।

(iv) जिला/क्षेत्रीय स्तर पर विधि-व्यवस्था हेतु अल्प दिवस (अधिकतम 05 दिन) के लिए बाह्य स्रोत से किराया पर वाहन रखने के लिए प्रशासी पदवर्ग समिति की स्वीकृति आवश्यक/अपेक्षित नहीं होगी। संबंधित जिला के उपायुक्त के अनुमोदनोपरांत निर्धारित दर पर वाहन किराया पर लिया जा सकेगा, जिसका भुगतान संबंधित एजेन्सी को संबंधित कार्यालय द्वारा किया जायेगा। अल्प दिवस (अधिकतम 05 दिन) के लिए इस व्यवस्था का दुरुपयोग इस प्रकार नहीं किया जाय कि अलग-अलग कार्य की प्रकृति के आधार पर 05-05 दिन में अवधि को तोड़-तोड़ कर, प्रशासी पदवर्ग समिति से स्वीकृति प्राप्त किये बिना लगातार बाह्य स्रोत से वाहन रख लिया जाय।

(v) अखिल भारतीय सेवा के प्रशिक्षु पदाधिकारी को उनके प्रशिक्षण अवधि तक के लिए बाह्य स्रोत से वाहन (Mahindra Bolero Neo) उपलब्ध कराया जा सकेगा, जिसके लिए प्रशासी पदवर्ग समिति की स्वीकृति आवश्यक/अपेक्षित नहीं होगी। उक्त की स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकार संबंधित जिला के उपायुक्त (भा°प्र°से° के प्रशिक्षु पदाधिकारी हेतु)/पुलिस अधीक्षक (भा°पु°से° के प्रशिक्षु पदाधिकारी हेतु)/वन क्षेत्र पदाधिकारी (भा°व°से° के प्रशिक्षु पदाधिकारी हेतु) होंगे। सक्षम प्राधिकार से अनुमोदनोपरांत निर्धारित दर के आधार पर राशि का भुगतान संबंधित एजेन्सी को संबंधित कार्यालय द्वारा किया जायेगा।

(vi) कंडिका-5 के तालिका क्रमांक-4 में जिला/क्षेत्रीय स्तर पर पदस्थापित पदाधिकारी के लिए बाह्य स्रोत से वाहन (जिन्हें अनुमान्य हो) की स्वीकृति, पदाधिकारी के पदस्थापन अवधि तक के लिए स्वीकृत समझी जायेगी तथा पदस्थापन रिक्त रहने की स्थिति में बाह्य स्रोत से वाहन रखने की स्वीकृति स्वतः रद्द समझी जायेगी।

(vii) जिला स्तर पर प्रोटोकाल हेतु आवश्यकतानुसार वाहन (SEDAN/SUV) बाह्य स्रोत से प्रशासी पदवर्ग समिति की स्वीकृति के उपरांत रखा जा सकेगा।

(viii) किसी अति विशेष परिस्थिति में वाहन का क्रय अथवा बाह्य स्रोत से वाहन रखने की स्वीकृति प्रशासी पदवर्ग समिति द्वारा प्रदान की जायेगी।

7. राज्य सरकार अन्तर्गत विभिन्न आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य के मामले में: -

(i) अध्यक्ष के उपयोगार्थ, यदि पूर्व से कोई वाहन उपलब्ध/आवंटित नहीं हो, तो कंडिका-4 के तालिका क्रमांक-2 में अनुमान्य वाहन के अनुरूप वाहन क्रय किया जा सकेगा।

(ii) सदस्य के उपयोगार्थ, यदि पूर्व से कोई वाहन उपलब्ध/आवंटित नहीं हो, तो कंडिका-5 के तालिका क्रमांक-1 में अनुमान्य वाहन के अनुरूप बाह्य स्रोत से वाहन उपलब्ध कराया जायेगा।

(iii) बाह्य स्रोत से वाहन रखने हेतु सक्षम पदाधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर कार्यालय आदेश निर्गत किया जायेगा एवं इसकी प्रतिलिपि वित्त विभाग को सूचनार्थ प्रेषित की जायेगी।

(iv) बाह्य स्रोत से वाहन सदस्य के पदस्थापन अवधि तक स्वीकृत समझी जायेगी।

(v) सदस्य के पद पर पदस्थापन रिक्त रहने की स्थिति में बाह्य स्रोत से वाहन रखने की स्वीकृति रद्द कर दी जायेगी।

(vi) सदस्य के पद पर पदस्थापन रिक्त होने की स्थिति में भी बाह्य स्रोत से वाहन आवंटन की स्वीकृति रद्द करने हेतु कार्यालय आदेश निर्गत कर इसकी प्रतिलिपि वित्त विभाग को सूचनार्थ प्रेषित की जायेगी।

8. वाहनों का क्रय तथा कंडिका-6(i) से 6(ii) में निहित प्रावधान को छोड़कर अन्य मामलों में बाह्य स्रोत (Outsource) से वाहन, संबंधित विभाग द्वारा प्रशासी पदवर्ग समिति की स्वीकृति के उपरांत ही रखा जायेगा।

9. बाह्य स्रोत से वाहन रखे जाने पर संबंधित एजेन्सी को राशि का भुगतान संबंधित विभाग के स्कीम/स्थापना व्यय मद के बजट शीर्ष अंतर्गत इकाई-41 'मोटर वाहन' तथा वाहन का क्रय किये जाने की स्थिति में स्कीम/स्थापना व्यय मद के बजट शीर्ष अंतर्गत इकाई-40 'नई मोटरगाड़ी का क्रय' से किया जायेगा।

10. प्रशासी विभाग के द्वारा वाहन का माडल के चयन के समय वाहन के मूल्य, वाहन की सुगम उपलब्धता, डंपदजमदंदबम की सुविधा, ईंधन खपत क्षमता, वाहन का उपयोग क्षेत्र इत्यादि मानकों का ध्यान रखा जायेगा तथा सफेद रंग को प्राथमिकता दी जायेगी।

11. प्रशासी पदवर्ग समिति से वाहन क्रय की स्वीकृति प्राप्त करने के क्रम में, यदि कंडिका-4 के तालिका में क्रय किये जाने हेतु अनुमान्य आवश्यक वाहन की संख्या के अनुरूप बजटीय उपबंध/आवंटन उपलब्ध नहीं हो, तो संबंधित विभाग द्वारा उपलब्ध बजटीय उपबंध/आवंटन के अनुसार वाहन क्रय का प्रस्ताव दिया जायेगा तथा शेष आवश्यक वाहन को बाह्य स्रोत से रखने हेतु बजटीय उपबंध/आवंटन उपलब्ध हो, तो समेकित प्रस्ताव गठित कर प्रशासी पदवर्ग समिति से स्वीकृति प्राप्त किये जाने पर विचार किया जा सकता है। कालान्तर में पर्याप्त बजटीय उपबंध/आवंटन उपलब्ध होने के पश्चात् बाह्य स्रोत से स्वीकृत वाहन की संख्या के अनुरूप वाहन का क्रय स्वीकृत समझा जायेगा एवं संबंधित विभाग द्वारा वाहन का क्रय किया जा सकेगा तथा बाह्य स्रोत से वाहन रखने की स्वीकृति स्वतः रद्द समझी जायेगी।

12. पूर्व से उपलब्ध वाहन (जो रद्दीकरण के योग्य है) का विलम्ब से रद्दीकरण/निलामी की कार्रवाई किये जाने के कारण वाहनों को Scrap के रूप में निलाम करना पड़ता है, जिस कारण राज्य सरकार को राजस्व की क्षति होती

है। अतएव सभी विभागों/कार्यालयों द्वारा पूर्व से उपलब्ध वाहन का ससमय एवं नियमानुकूल रद्दीकरण कर निलामी की कार्रवाई दृढ़तापूर्वक की जायेगी।

13. सभी विभाग/कार्यालय द्वारा अपनी आवश्यकता के अनुसार बाह्य स्रोत से वाहन रखने के लिए मासिक दर/दैनिक दर का निर्धारण निविदा के माध्यम से अपने स्तर से निष्पादित किया जायेगा।

14. निविदा हेतु Expression of Interest का प्रारूप अनुसूची-पू के रूप में संलग्न है। संबंधित विभाग के द्वारा आवश्यकता के अनुसार Expression of Interest के शर्तों में नियमानुकूल संशोधन किया जा सकेगा तथा बाह्य स्रोत से वाहन की प्रतिपूर्ति चालक सहित अथवा चालक एवं इंधन सहित करने का विकल्प दिये जाने पर विचार किया जा सकेगा। सभी विभाग/कार्यालय द्वारा बाह्य स्रोत से वाहन रखने के लिए निविदा के माध्यम से निर्धारित मासिक दर/दैनिक दर की प्रतिलिपि वित्त विभाग को सूचनार्थ प्रेषित की जायेगी तथा वित्त विभाग का दायित्व होगा कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रथम माह में विभागों/कार्यालयों से प्राप्त मासिक दर/दैनिक दर का संकलन किया जायेगा तथा एकरूपता रखने के उद्देश्य से तुलनात्मक विवरणी तैयार कर सभी विभागों/कार्यालयों को परिचालित की जायेगी।

15. संकल्प निर्गत होने के उपरांत पूर्व में निर्गत संकल्प सं० 3296/वि० दिनांक 15.09.2014 को विलोपित समझा जायेगा।

16. निविदा हेतु Expression of Interest का प्रारूप (अनुसूची-1) एवं प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति वित्त विभागीय संलेख ज्ञापांक 2163/वि० दिनांक 19.09.2024 के क्रम में दिनांक 27.09.2024 की बैठक के मद सं० 02 में दी गई है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(प्रशांत कुमार)

सचिव।
